खाद्य भोजनालयों के संबंध में राज्य विनियमन

प्रिलिम्स के लिये:

खाद्य मिलावट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, भारी धातुएँ, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, जैविक खाद्य पदार्थ।

मेन्स के लिये:

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत में खाद्य सुरक्षा को मज़बूत बनाना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **उत्तर प्रदेश** (UP) सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर **संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों** और अन्य संबंधित कर्मियों के **नाम** प्रमुखता से प्रदर्शित करने को अनिवार्य कर दिया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम आदेशों के लिये खाद्य पदार्थों में मिलावट **की घटनाओं की रिपोर्टों का हवाला दिया है**, जैसे कि खाद्य पदार्थों का **मानव अपशिष्ट या अन्य अखाद्य पदार्थों से संदूषित होना।**

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के अंतर्गत मौजूदा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएँ क्या हैं?

- **पंजीकरण या लाइसेंस:** FSSA के अंतर्गत, खाद्य व्यवसाय संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से पंजीकरण कराना या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस, जिसमें **मालिक की पहचान** और प्रतिष्ठान का स्थान दर्शाया गया हो, परिसर में **प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिये।**
- **बिना लाइसेंस के दंड:** FSSA की **धारा 63** के तहत, **बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वाले किसी भी संचालक को छह महीने** तक की **जेल और 5 लाख रुपए** तक का जुर्माना हो सकता है।
  - यह प्रावधान उचित **लाइसेंसिंग और सूचना के प्रदर्शन** के महत्त्व पर बल देता है।
- **FSSA विनियमों का गैर-अनुपालन:** यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक **FSSA** के प्रावधानों का **उल्लंघन करता है, तो उसे धारा 31** के अंतर्गत **'इम्प्रूवमेंट नोटिस'** प्राप्त हो सकता है।
  - यदि ऑपरेटर, नोटिस के **अनुपालन** में विफल रहता है, तो उसका **लाइसेंस निलंबित या रद्द** किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **धारा 58 में ऐसे उल्लंघनों के लिये 2 लाख रुपए** तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिनके लिये कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं है।

FSSA के अंतर्गत नियम बनाने की राज्य सरकारों की शक्तियाँ क्या हैं?

- **राज्य प्राधिकरण:** FSSA की **धारा 94 राज्य सरकारों को** FSSAI की **पूर्व स्वीकृति** से **नियम** बनाने की अनुमति प्रदान करती है।
- **अतिरिक्त कार्यों का आवंटन:** राज्य सरकारें FSSA की **धारा 30** के तहत नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त को **अतिरिक्त कार्य और कर्त्तव्य निर्धारित कर सकती हैं।**
  - इसमें राज्य के अधिकार क्षेत्र में **खाद्य सुरक्षा** से संबंधित मामलों पर नियम बनाना शामिल है, जो केंद्र सरकार की निगरानी के अधीन होगा।
- **राज्यों द्वारा नियम बनाने की प्रक्रिया:** FSSA की **धारा 94(3)** के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रकाशित और अनुमोदित किया जाना चाहिये।

ऐसे आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने **हस्तक्षेप करते हुए वर्ष 2024 की कांवड़ यात्रा** के लिये **उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस** द्वारा जारी किये गए इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपनी पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य था।
- हालाँकि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA)** एक **"सक्षम प्राधिकारी" को** ऐसे आदेश जारी करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पुलिस इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

राज्य सरकार के ऐसे आदेशों को न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाती है?

- **अनुच्छेद 15 का उल्लंघन:** आलोचकों का तर्क है कि ऐसे आदेश व्यक्तियों को अपनी **धार्मिक और जातिगत पहचान** प्रकट करने के लिये मज़बूर करते हैं तथा **धर्म एवं जाति** के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो संविधान के **अनुच्छेद 15(1)** का उल्लंघन है।
    - **अनुच्छेद 15(1)** में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के** आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।"
- **अनुच्छेद 17 का उल्लंघन:** यह अप्रत्यक्ष रूप से **अस्पृश्यता** की प्रथा का समर्थन कर सकता है, जिसे संविधान के **अनुच्छेद 17** के तहत समाप्त और निषिद्ध किया गया था।
- **अनुच्छेद 19 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि यह आदेश विशिष्ट समुदाय के** पूर्ण आर्थिक बहिष्कार के लिये स्थितियाँ उत्पन्न करता है और **अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार का उल्लंघन करता है।

//

दृष्टि The Vision

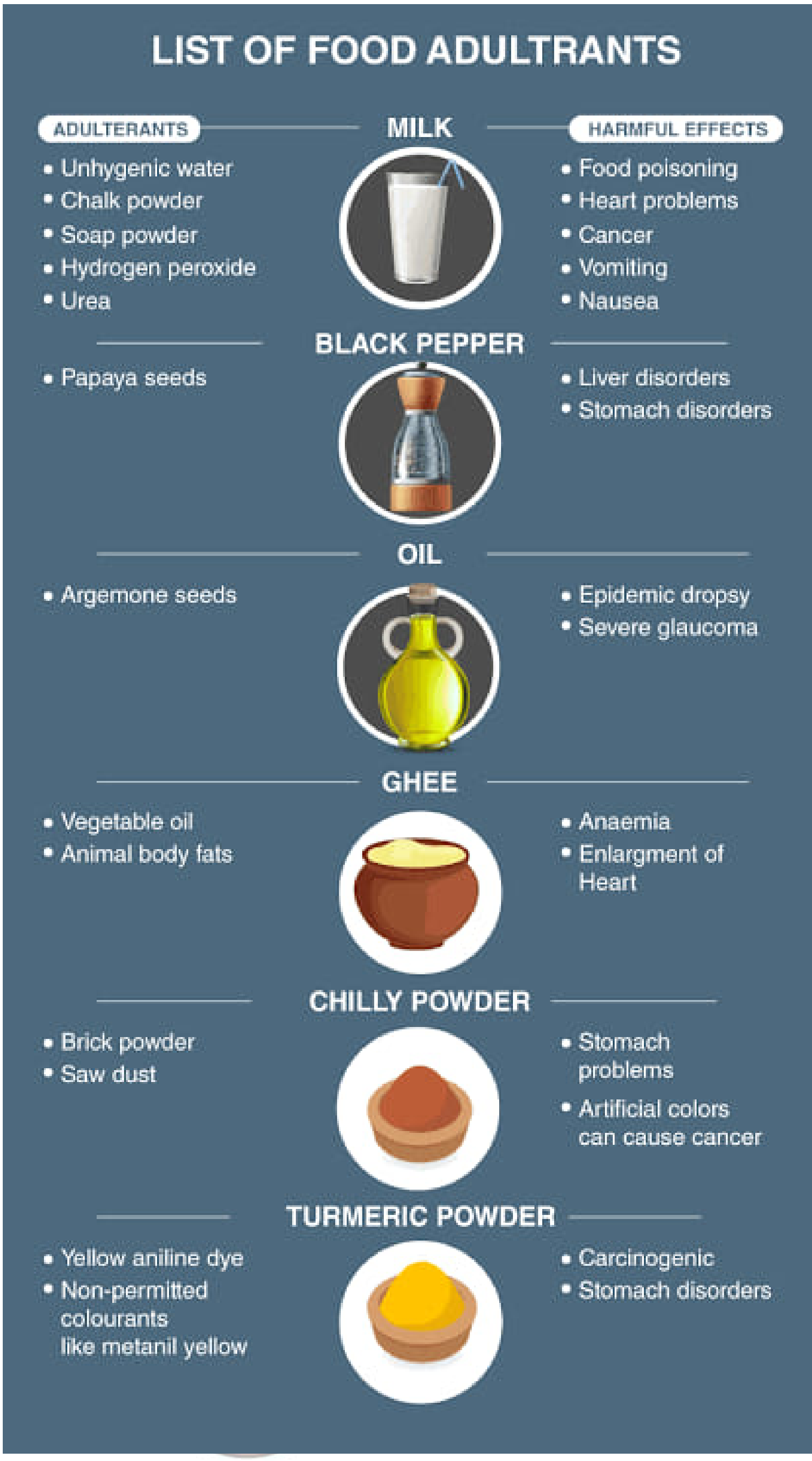

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियिम, 2006 के तहत खाद्य मलिावट को रोकने के लयि सामान्य प्रावधान क्या हैं?

- **खाद्य योज्यों का उपयोग-** कसिी खाद्य पदार्थ में कोई **खाद्य योज्यक या प्रसंस्करण सहाय्य तब तक अंतर्वषि्ट नहीं होगा,** जब तक कवि ह इस अधनियिम और इसके अधीन बनाए गए वनियिमों के उपबंधों के अनुसार न हो।
- **वषिैले पदार्थ और भारी धातुएँ-** कसिी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से (जो वनियिमों द्वारा वनिर्दिष्ट की जाए) अधकि मात्रा में संदूषक,**प्राकृतकि रूप से व्युत्पन्न होने वाले वषिैले पदार्थ, टाक्सनि्स या [हारमोन](#) या [भारी धातु](#)** नहीं होगी।
- **कीटनाशक, पशु चकित्सीय औषधि अवशषिट-** कसिी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से (जो वनियिमों द्वारा वनिर्दिष्ट की जाए) अधकि **कीटनाशक, पशु चकित्सीय औषध अवशषिट, प्रतजिैवकि अवशषिट, वलिय अवशषिट, भेषजीय रूप से सक्रयि पदार्थ और**

सूक्ष्मजीव काउंट अंतर्विष्ट नहीं होंगे।
    - [कीटनाशी अधिनियम, 1968] के अधीन **रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोड़कर किसी कीटनाशी का प्रयोग** किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ** -इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति कोई आदर्श खाद्य, **[आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ]**, विकिरणित खाद्य, **जैविक खाद्य**, विशेष आहार उपयोगों के खाद्य, फलीय कृतकारी खाद्य, पोषणीय, स्वास्थ्यपूरक तत्त्व, निजस्वमूलक खाद्य और इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, वितरण, विक्रय या आयात नहीं करेगा।
- **पैकेजिंग और लेबलिंग:** खाद्य उत्पादों की निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार पैकेजिंग और लेबलिंग की जानी चाहिये।
    - परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डिज़ाइन या युक्ति अंतर्विष्ट नहीं होगी जो पैकेज में **अंतर्विष्ट खाद्य उत्पाद के संबंध में किसी विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक** हो।
- **अनुचित व्यापार व्यवहार-** किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्या है?

- **परिचय:** FSSAI **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय** है।
    - वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि **खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973** आदि।
- **FSSAI के कार्य: FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के अधीन कार्य करते हुए भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित करके **लोक स्वास्थ्य की** रक्षा और संवर्द्धन के लिये ज़िम्मेदार है।
    - **परिणामस्वरूप, FSSAI की स्थापना वर्ष 2008** में की गई लेकिन खाद्य प्राधिकरण के अंतर्गत इसका कार्य वर्ष **2011 से शुरू हुआ,** जब इसके नियम और प्रमुख विनियमन अधिसूचित किये गए।
- **FSSAI की शक्तियाँ:**
    - खाद्य उत्पादों और योजकों के लिये **विनियमों तथा मानकों** का निर्धारण।
    - खाद्य व्यवसायों को **लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण** प्रदान करना।
    - खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का प्रवर्तन।
    - खाद्य सुरक्षा और **गुणवत्ता की निगरानी तथा पर्यवेक्षण।**
    - खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर **जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान का** संचालन करना।
    - खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर **प्रशिक्षण तथा जागरूकता** बढ़ाना।
    - खाद्य सुदृढ़ीकरण और **जैविक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन।**
    - खाद्य सुरक्षा मामलों पर अन्य एजेंसियों और हितधारकों के साथ समन्वय करना।
- **FSSAI की संरचना:** FSSAI में एक **अध्यक्ष** और **22 सदस्य होते हैं,** जिनमें से **एक तिहाई महिलाएँ होती हैं।**
    - FSSAI के अध्यक्ष **एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    - इसके अध्यक्ष, भारत सरकार के **सचिव के स्तर के होते हैं।**
- **FSSAI की पहल:**
    - [विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस]
    - [ईट राइट इंडिया]
    - [राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक]
    - [RUCO (प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग)]
    - [खाद्य सुरक्षा मित्र]
    - [100 फूड स्ट्रीट्स]

निष्कर्ष:

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) के प्रावधान राज्य सरकारों को **राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को** सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से विनियमित करने का अधिकार देते हैं। **खाद्य योजकों, संदूषकों और विज्ञापन प्रथाओं** पर नियम निर्धारित करके, FSSA का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ खाद्य उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) के तहत मौजूदा प्रावधानों का परीक्षण कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) (एफ.एस.एस.ए.आई.) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

?????:

प्रश्न. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिये भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-regulation-regarding-food-eateries